FORM No. III

APP-A
crim-I

फर्द अहकाम

2023/64

(नियम 26)

अज़ अदालत - राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर मुकाम - सवाई माधोपुर

विजय .... बनाम .... लैण्ड होल्डर वगै.

किस्म मुकदमा .... RTA 223 .... मुकदमा नं. 36/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/6/23	यह द्वितीय अपील अधि. श्री अरविन्द कुमार अग्रवाल द्वारा राज. काश्त. अधि. 223 धारा के तहत पेश की गई है। बाद जांच रिपोर्ट पेश हो। अपील बाद जांच रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट नकिस्ता का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया कि अपील मियाद बाहर पेश है परन्तु धारा 5 मियाद अधि. का प्रा.पत्र भी संलग्न नहीं है। धारा 76 सी.पी.सी. का प्रा.पत्र संलग्न है। अहलमद रिपोर्ट के अनुसार अपील क्षेत्राधिकार सीमा से बाहर है। ~~अह~~ अहलमद की रिपोर्ट के पश्चात भी अधि. अपी. द्वारा क्षेत्राधिकार के आधार पर बहस की गई। बहस मे कथन किया कि ~~बहस~~ में अपीलार्थी की प्रथम अपील अदालत मातहत द्वारा धारा 5 में खारिज किये जाने के कारण क्षेत्राधिकार श्रीमान न्यायालय को ही क्योंकि धारा 223 काश्तकारी अधि. में सहायक कलेक्टर / उपखण्ड अधिकारी न्यायालय का क्षेत्राधिकार राजस्व अपील अधिकारी को ही है। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा न्यायिक दृष्टान्त अरूण कुमार v/s अरविन्द कुमार रिट पीटिशन 8522/2015 पेश की। ~~न~~ अपील दर्ज रजि. हो। बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत दृष्टान्त का भी ससम्मान अवलोकन किया गया। रा. का. अधिनियम धारा 223	

(हस्ताक्षर)

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

(मुहर: राजस्व अपील अधिकारी, सवाई माधोपुर (राजस्थान))

Scanned with CamScanner

राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

उनवान ......विजय...... बनाम ......लैण्ड होल्डर वगै०

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एवं इसमें लिखित शिड्यूल पार्ट 3 का भी अवलोकन किया गया।	
	उक्त धाराओं एवं शिड्यूल के अवलोकन से पाया गया कि यह द्वितीय अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28/02/23 अपील विरुद्ध नामान्तकरण संख्या 132 दिनांक 05/02/2007 ग्राम जलोखेरा तह० गंगापुर सिटी के विरुद्ध पेश की गई है।	
	इस प्रकार काश्त० अधिनियम 223 में राजस्व अपील अधिकारी को उपधारा 2 जो इस प्रकार है	
	sec 223 RTA Appeals from Original orders - An appeal shall lie from an original ~~order~~ decree -	
	(i) -	
	(ii) to the [Revenue Appellate Authority] of such decree passed by an Assistant Collector, a Sub-divisional officer, or a Collector.	
	इस प्रकार उक्त धारा से यह स्पष्ट है कि राजस्व अपील अधिकारी केवल उन्हीं मूल डिक्रियों की अपील की सुनवाई करेगा जो अदालत मातहत द्वारा जारी की गई है।	
	परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में यह अपील मूल डिक्री की न होकर द्वितीय अपील है। इसी प्रकार शिड्यूल 3 में यह उल्लेख प्रावधान में अंकित है। अधि० अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दृष्टान्त चस्पा नहीं होता है।	
	राज० काश्तकारी अधिनियम 222 के प्रावधान इस प्रकार है:-	

अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान)

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

उनवान ...... विजय ...... बनाम ...... जौण्ड होल्डा वगै०

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान)	Sec. 222 — Appeal not to lie unless allowed by this Act — no appeal shall lie from any decree or order passed by any revenue court except provide in this act. इस प्रकार राज. काश्तकारी अधिनियम २२२ के तहत यह अपील इस न्यायालय में श्रवणाधिकार बाधित होने के कारण अपील को श्रवणाधिकार से बाहर होने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर इसी स्तर पर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय खुले सरे इजलास सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर	